प्रश्न सं. [ क्र. 1254 ]

प्रपत्र - अ

**विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1254**
**द्वारा माननीय विधायक श्री डॉ. योगेश पंडाग्रे**
सदन के उत्तर 3/3/2023

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में 1x660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी-

i. **साध्यता रिपोर्ट (फिजीबिलिटी रिपोर्ट):** सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 1x660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु मेसर्स डेजिन, नई दिल्ली द्वारा साध्यता रिपोर्ट (फिजीबिलिटी रिपोर्ट) एवं डी.पी.आर. वर्ष 2011 में तैयार की गई थी।

ii. **परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृतिः-** सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रं. 1 (5X62.5 मेगावाट) के स्थान पर 1x660 मेगावाट क्षमता की विस्तार इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन के पत्र दिनांक 24.07.2012 के द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है ।

iii. **कोल आवंटन:** प्रस्तावित इकाई हेतु कोल आवंटन प्राप्त करने के लिए अगस्त-19 में आवेदन (3.82 MTPA;100% PLF) प्रस्तुत किया गया । तदोपरांत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (लॉग टर्म) की दिनांक 18.11.2019 को संपन्न बैठक में उक्त इकाई हेतु कोल इंडिया लिमिटेड से कोल लिंकेज प्रदाय हेतु अनुशंसित किया गया है । तत्पश्चात्, कोल इंडिया द्वारा, 20.12.2019 को संपन्न आश्वासन पत्र संबंधित समिति (CLOA) की 34वीं बैठक में एन.सी.एल. कोल माइन्स से 1.102 MTPA (G-9 ग्रेड) एवं एस.ई.सी.एल. कोल माइन्स से 1.271 MTPA (G-11 ग्रेड) कोल लिंकेज आवंटित किया गया है। शेष कोल मात्रा हेतु आवंटन प्राप्त करने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड से निवेदन किया गया है ।

iv. **जल आवंटन:** जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा परियोजना के लिए मार्च' 2020 में वांछित जल (17.32 मि. घन मी. वार्षिक) का आवंटन प्रदान किया गया है।

v. **पर्यावरणीय स्वीकृति:** परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सलाहकार, जून-19 में नियुक्त किया गया । परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में, केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा टी.ओ.आर. दिनांक 20.12.2019 को जारी किया गया है एवं जन सुनवाई की कार्यवाही सितम्बर- 2022 को संपन्न की जा चुकी है । पर्यावरण प्रभाव अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट, दिसम्बर- 2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जमा की गई । पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में, केन्द्रीय मंत्रालय की एक्सपर्ट एप्राइजल कमेटी (EAC) एवं म. प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी के मध्य बैठक दिनांक 28.12.2022 को संपन्न हुई । एक्सपर्ट एप्राइजल कमेटी (EAC) ने पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

vi. **परियोजना सलाहकार:** परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स एन.टी.पी.सी से परामर्श सेवाएं लेने हेतु वार्ता प्रारंभ की गयी है, इस तारतम्य में मेसर्स एन.टी.पी.सी द्वारा दिनांक 30.10.2022

& 01.11.2022 को एस.टी.पी.एस. सारणी, साईट का भ्रमण किया गया। परामर्श सेवाओं हेतु "स्कोप ऑफ़ वर्क" निर्धारण करने के लिए एन.टी.पी.सी के साथ दिनांक 07.01.2023 को बैठक संपन्न हुई है। जिसके पश्चात् मेसर्स एन.टी.पी.सी द्वारा अपना मूल्यांकित प्रस्ताव दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित मूल्य और नियम एवं शर्तों पर चर्चा एवं अंतिम निर्धारण हेतु मेसर्स एन.टी.पी.सी. के साथ दिनांक 06.02.2023 को बैठक संपन्न हुई। तदानुसार मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा पुनिरिक्षित प्रस्ताव दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर आदेश प्रसारित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

vii. **ऊर्जा क्रय अनुबंध** : परियोजना से उत्पादित 100% ऊर्जा के विक्रय/ क्रय हेतु म.प्र.पॉ.मै.कं.लि. द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

viii. **वित्तीय प्रबंधन**/ म.प्र.शासन के पत्र दिनांक 24.07.2012 के निर्देशानुसार परियोजना का वित्तीय पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में, जिसमे 20 प्रतिशत अंशपूंजी में से 15 प्रतिशत अंशपूंजी राज्य शासन द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत अंशपूंजी की व्यवस्था म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। म.प्र.शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी परियोजना के लिये रु. 38.53 करोड़ का बजट आवंटित किया है एवं ऋण हेतु वित्तीय संस्थानों को आवेदन किया जाना है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, म.प्र. शासन,भोपाल